विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 182/वि0स0/प0का0/76(प)/2005
लखनऊ, दिनांक 14 जून, 2024

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-कानपुर नगर, 213, सीसामऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री हाजी इरफान सोलंकी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे;

और, चूंकि, श्री हाजी इरफान सोलंकी, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-213, सीसामऊ को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एम0पी0/एम0एल0ए0/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-XI, कानपुर नगर द्वारा सेशन केस नं0-98/2023, अपराध संख्या-127/2022, धारा-436, 506, 147, 327, 427, 386, 504, 120बी भा0दं0सं0, थाना-जाजमऊ, जिला-पूर्वी (कमिश्नरेट कानपुर नगर) के वाद में दोषसिद्ध पाते हुए धारा-147 भा0दं0सं0 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-436/149 भा0दं0सं0 में सात वर्ष कठोर कारावास तथा 20000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर चार माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-427/149 भा0दं0सं0 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 5000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-323/149 भा0दं0सं0 में छः माह के कठोर कारावास तथा 500/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-506 भा0दं0सं0 के भाग-1 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 2000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, धारा-504 भा0दं0सं0 में एक वर्ष के कठोर कारावास और 1000/- रु0 जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी। अतएव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13 अक्टूबर, 2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490 ऑफ 2005 तथा 231 ऑफ 2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुसार श्री हाजी इरफान सोलंकी दिनांक 07 जून, 2024 से निरर्ह माने जायेंगे;

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री हाजी इरफान सोलंकी का उक्त स्थान दिनांक 07 जून, 2024 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 182(1)/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1-मा0 राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव को मा0 राज्यपाल की सूचनार्थ,
2-उत्तर प्रदेश विधान सभा के समस्त सदस्यगण,
3-जिलाधिकारी, कानपुर नगर,
4-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
5-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,

6-सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,

7-श्री हाजी इरफान सोलंकी, 92/डी, डिफेन्स कालोनी, जाजमऊ, जनपद-कानपुर, उ0प्र0,

8-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

नीरज कुमार सचान,
उप सचिव।

संख्या : 182(2)/वि0स0/प0का0/76(प)/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली (011-23052025) को श्री हाजी इरफान सोलंकी की विधान सभा की सदस्यता निरर्हित किये जाने के फलस्वरूप हुई रिक्ति की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्यार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।

नीरज कुमार सचान,
उप सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 41 विधान सभा (57)-14-06-2024-600 प्रतियां (कम्प्यूटर)।